न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–7/2016–2017

राज्य बनाम राजा कुमार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख 3.
13.06.2017	**आदेश** बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58 के अंतर्गत प्रश्नगत वाद, खगड़िया थाना कांड सं०–673/2016, दिनांक–28.11.2016 के सन्दर्भ में प्राप्त संबंधित थानाध्यक्ष, खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव दिनांक–05.03.2017 के आलोक में प्रारंभ की गई है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–801/र0क0 दिनांक–07.03.2017 द्वारा भी थानाध्यक्ष खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव पर अनुशंसा सहित कार्रवाई प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है। थानाध्यक्ष, खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव में उल्लेख है कि संदर्भित प्राथमिकी से सम्बद्ध वाहन BR34H-9405, मोटर साईकिल है, जो दिनांक–28.11.2016 को अवैध रूप से वाहन के डिक्की में मेक्सडेवल नं–1 सेलिब्रेशन XXX Rum का 180 एम0एल0 का 16 पाउच विदेशी शराब बलुआही स्थित अघौड़ी स्थान मंदिर के उत्तर अनिल सिंह के बगीचा के नजदीक पकड़ा गया। थानाध्यक्ष के अधिहरण प्रस्ताव में अंकित है कि उक्त मोटर साईकिल की जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया। जप्ती सूची के अनुसार उक्त मोटर साईकिल के डिक्की में मेक्सडेवल नं–1 सेलिब्रेशन XXX Rum का 180 एम0एल0 का 16 पाउच विदेशी शराब बलुआही स्थित अघौड़ी स्थान मंदिर के उत्तर अनिल सिंह एवं महेश सिंह का आम के बगीचा से बरामद किया गया। जप्ती सूची पर कमला प्रसाद, स0अ0नि0 का हस्ताक्षर है। जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा उपलब्ध कराये गये Screen Report से वाहन संख्या BR34H-9405, चेचिस नं0–MBLHA10AXDGL03257 के स्वामी राजा कुमार, पिता–गणेश साह, ग्राम–नगरपालिका रोड, खगड़िया थाना+पोस्ट+जिला– खगड़िया हैं। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिनांक 18.03.2017 को दिया गया। वाहन स्वामी राजा कुमार द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 28.03.2017 को कारण–पृच्छा समर्पित किया गया। कारण–पृच्छा में वाहन स्वामी द्वारा उल्लेख किया गया है कि ***"बेगुसराय में शादी का कार्ड बांटने के दौरान मेरा वाहन अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी कर लिये जाने के फलस्वरूप, मेरे द्वारा बेगुसराय थाना कांड संख्या–558/2016 दर्ज किया गया है।'*** इस आधार पर वाहन स्वामी द्वारा मोटर साईकिल को मुक्त करने का अनुरोध किया गया। संदर्भित प्राथमिकी के साथ संलग्न जप्ती सूची तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत संज्ञेय	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	टिप्पणी
1.	02.	

अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, खगड़िया द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन शराब के कारोबार में संलिप्त था, जो संदर्भित अधिनियम अंतर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा वे उपस्थित भी हुए और उनके द्वारा कारण–पृच्छा भी दायर किया गया, अतः दायर कारण–पृच्छा अस्वीकार किया जाता है।

बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत वाहन BR34H-9405, चेचिस नं0–MBLHA10AXDGL-03257 मोटर साईकिल बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम--2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता है।

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन BR34H-9405, चेचिस नं0–MBLHA10AXDGL03257 मोटर साईकिल, जो जप्त कर खगड़िया थाना में रखा हुआ है, का बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ–ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन BR34H-9405, चेचिस नं0–MBLHA-10AXDGL03257 मोटर साईकिल का मोटरयान निरीक्षक, खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंतर्गत समर्पित करेंगे।

3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन–राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।